रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2376] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 19, 2019/आषाढ़ 28, 1941
No. 2376] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 19, 2019/ ASHADHA 28 1941

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2019

का.आ. 2606(अ).—प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 5844(अ), तारीख 27 नवम्बर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 28 नवम्बर, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान (27°07′06″उ - 27°12′02″उ और 77°29′05″पू - 77°33′ 09″पू) भरतपुर जिला में गंभीर और बानगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। और 28.73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है यह बानगंगा और गंभीर नदी के बाढ़ समतल क्षेत्र में निचला क्षेत्र है जो कि यमुना नदी की सहायक नदियां है। यह दिल्ली-जयपुर राजमार्ग के साथ, दिल्ली से 180 किलोमीटर, आगरा से 50 किलोमीटर और भरतपुर के दक्षिण पूर्व से 2 किलोमीटर में स्थित है।

और, यह उद्यान, स्थानीय रूप से घाना नाम से जाना जाता है, यह घासभूमि के मोज़ेक, वनस्थली, वनस्थली दलदल और आर्द्रभूमि है। यह राष्ट्रीय उद्यान अंतरराष्ट्रीय पारिस्थितिकी महत्वपूर्ण है और यह 1981 में रामसार स्थल और 1985 में विश्व धरोहर स्थल के लिए घोषित किया गया। राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए स्वर्ग के तौर जाना जाता है और मध्य एशिया से प्रवासी पक्षियों के लिए मुख्य शीतकालीन क्षेत्र है जिसमें दुर्लभ और संकटापन्न साईबेरियाई सारस संख्या सम्मिलित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का महत्वपूर्ण संरक्षण मूल्य है यह वनस्पतियों और जीवजंतुओं के बृहत् समूह को आश्रय प्रदान करता है जो कि पारिस्थितिकी पैरामिड में उष्णकटिबंधी महत्वपूर्ण घटक है। आर्द्रभूमि क्षेत्र के चारों ओर की जलवायु नियमित करती है

और क्षेत्र के भूमि जल को रिचार्ज करता है। आर्द्रभूमि पक्षी-विज्ञान विहार के लिए केन्द्र है यह कई प्रवासी और देशी पक्षियों के लिए पर्यावास प्रदान करता है। यह आर्द्रभूमि अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व का है।

और, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में समृद्ध जैव विविधता है। इस विविधता में 375 पक्षी जीव प्रजातियों में सम्मिलित हैं— जलकुक्कुट की 140 प्रजातियां, पौधों की 372 प्रजातियां, स्तनधारियों की 34 प्रजातियां, मछलियों की 57 प्रजातियां, सांपों की 14 प्रजातियां, छिपकलियों की 5 प्रजातियां, गेक्को की 3 प्रजातियां, कछुओं की 7 प्रजातियां, उभयचरों की 8 प्रजातियां, तितलियों की 71 प्रजातियां, ड्रेगोनफ्लाई की 16 से अधिक प्रजातियां और मकड़ियों की 8 प्रजातियों का वास हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अर्ध-शुष्क जैव-भौगोलिक जोन के पंजाब समतल जैव प्रांत के अंतर्गत आता है, जो कि सिंधु-यमुना जल विभाजक का समतल शुष्क क्षेत्र है। उद्यान की वनस्पति में एक्सरोफाईटस और अर्ध-एक्सरोफाईटस का सम्मिश्रण है जिसके अंतर्गत प्रमुख देसीबबूल (*अकाकिया नीलोटिका*), कैपरिस डेसिडुआ, सी. सेपियारिया, कदम (*मित्रागिन पार्विफ्लोरा*), केजरी (*प्रोसोपिस सिनेरारिया*), पिलू (*साल्वाडोरा योलोइड्स*), जामुन (*सिजीगियम क्युमिनि*) और ज़िज़िफस एसपी. हैं। उद्यान में महत्वपूर्ण व्यापक घासें *पासपालुम डिसटिटुम, पासपालिडिम पुनटाटम, साईनोडोन डाटाईलोन, डेसमोसटाटिया बिपिनाटा, डिकैनथिम अन्नुलाटडम* और *वेटीनेरिया ज़िज़ानिओडेस* हैं। कदम (*मित्राजिना पर्विफ्लोरा*) वृक्ष, प्रकीर्ण कोशिका में वितरित, प्रमुख बृहत् आकार के वृक्ष और वनस्थली है, जबकि कांटेदार *अकाकिया एसपी.* और *प्रोसोपिसजूलीफ्लोरा* झाड़ी प्रमुख झाड़ी भूमि है। वनस्थली में मुख्य पौधें प्रजातियां *मित्राजिना पर्विफ्लोरा, सिजीगियम क्युमिनि, अकाकिया निलोटिका, सलवाडोरा स्पा., केपरिस स्पा.* और *ज़िज़िफस स्पा.* पाये जाते हैं। कुल मिलाकर उद्यान 372 पौधें प्रजातियों को आश्रय प्रदान करता है जिसमें 96 जलीय पौधे शामिल हैं।

और, यहां नीलगाय (*बोसेलाफुस्ट्रागोकामेलस*), फेरल मवेशी (*बोस्टौरस*) और चीतल (*सर्वस एक्सिस*) की बहुतायत है जबकि सांबर (*सर्वस यूनिकोलर*) इस संरक्षित क्षेत्र से दुर्लभ प्रजातियों में अभिलिखित है। छोटे भारतीय नेवला (*हर्पेस्टे जवानिकस*), छोटे भारतीय सीवेट (*विवर्रिकुला इंडिका*), स्ट्रीप्ड हायना (*हायना हायना*), भारतीय हेजहोग (*हेमीचिनस मिक्रोपस*), भारतीय साही (*हाइस्ट्रिक्स इंडिका*) और होग हिरण (*एक्सिस पोर्सिनस*) बहुत ही कम देखे जाते हैं। दो लेसर बिल्ली, जंगल बिल्ली (*फेलिस चाउस*) और फिशिंग बिल्ली (*प्रिओनैलुरुस विवेरिनस*) और दो सीवेट जैसे दो सामान्य पाल्म सीवेट (*पैराडाक्सुस हेरमाफ्रोडोडिटस*) और छोटे भारतीय सीवेट (*विवररिकुला इंडिका*) उद्यान में पाए जाते हैं।

और, राष्ट्रीय उद्यान की महत्तपूर्ण पक्षी प्रजातियाँ जैसे पेंटेड स्टॉर्क, ओपन बिल स्टॉर्क, ग्रे हेरॉन, बैंगनी हेरॉन, नाइट हेरॉन, बड़े इगरेट, इंटरमीडिएट इगरेट, लिटिल इगरेट, मवेशी इगरेट, ब्लैक हेडेड इबिस, लिटिल कॉर्मोरेंट, इंडियन शेग, बड़े कॉर्मोरेंट, इंडियन डार्टर, यूरेशियन स्पूनबिल। उद्यान में अन्य पक्षी प्रजनन करने वाले व्हाईट नेक्ड स्टोर्क, ब्लेक नेक्ड स्टोर्क, लिटिल ग्रीन हेरोन, ब्लैक बिर्टन, चेस्टनट बिर्टन, येलो बिर्टन, सासर क्रेन, कॉम्ब बतख, स्पॉट बिल्ड डक, लेसर विस्टिलिंग टील, कॉटन टील, फिजेंट टेल्ड जाकाना, ब्रोंज़ विंगड जाकाना, बैंगनी मुरहेन, सफेद ब्रेस्टेड वॉटर हेन, पेंटेड स्निप, कोरा, ब्लैक पैट्रिज, ग्रे फ्रैंकोलिन, बटन बुश क्वेल, शॉर्ट टूड ईगल, लेसर स्पॉटेड ईगल, ग्रेटर स्पॉट ईगल, हनी बुज़ार्ड, शिकरा, स्पैरो हॉक, डस्की हार्नड उल्लू, कॉलर स्कॉप्स उल्लू, स्पॉट उल्लू, बार्न उल्लू, मोटल्ड वुड उल्लू, कॉपरस्मिथ बार्बेट, ब्राउन हेडेड बार्बेट, लेसर फ्लेम बैक, येलो फ्रोंटेड पाइड वुड पिकर, ब्राउन क्राउन्ड पिग्मी वुडपीकर, व्हाइट चिक्ड बुलबुल, रेड वेंटेड बुलबुल, लाफिंग कबूतर, लाल कछुए कबूतर, रिंग कबूतर, ग्रेटर कुकल, ट्री पाई, पैराडाइज फ्लाईकैचर, कॉमन वुड श्रिंक, बे बैक्ड श्रिंक, लॉग टेल्ड श्रिंक, जंगल बब्बलर, लार्ज ग्रे बब्बलर, सामान्य बब्बलर, येलो आइड बब्बलर, स्ट्रेक्ड फैन टेल्ड बब्बलर, बैंगनी सनबर्ड, टेलर पक्षी, भारतीय प्रिंसिया, एशी प्रिंसिया, पाइड मैना, ब्राह्मण मैना, सामान्य मैना, रेड मुनिया, इंडियन सिलवर बिल, स्पॉटेड मुनिया, ब्लैक ड्रॉन्गो, जंगल क्रो, हाउस क्रो, हाउस स्पैरो, येलो थ्रोटेड स्पैरो, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, छोटे मिनीवेट, गोल्डन ओरियोइल, व्हाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर, सामान्य किंगफिशर, लिटिल ग्रीन बी ईटर, वायर टेल्ड स्वालोव, डस्की क्रैग मार्टन, रेड वाटलेड लैपविंग, पीला वेटेड लैपविंग, इंडियन कॉरसेर, ग्रेट थिक नी, चेस्टनट बेलिड नथैट्च, मार्शल आईओरा, पाइड क्रेस्टेड कोयल, यूरेशियन कोयल, सामान्य हॉक कूकू, चेस्टनट बेल्ड रेत ग्रौसे, मिस्र गिद्ध, किंग गिद्ध, क्रेस्टेड लार्क, पैडी फील्ड पिपिट, रूफोस

टेल्ड फिंच लार्क, पाइड बुश चैट, बाया वीवर, मैगी रॉबिन, इंडियन रॉबिन, ब्राउन रॉक चैट, इंडियन रोलर, व्हाइट ब्रॉइड वेग्टेल्ड, रोज रिंग्ड पैराकिट, रॉक कबूतर, येलो फूटेड ग्रीन कबूतर, आदि हैं।

और, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 2002 तक साईबेरियन क्रेन के दुर्लभ और संकटापन्न केन्द्र संख्या के लिए सिर्फ शीतकालीन क्षेत्र के लिए उपयोगी है। यह मध्य एशिया से प्रवासी पक्षियों के लिए मुख्य शीतकालीन क्षेत्र प्रदान करता है। उद्यान में रैपटर्स की लगभग 42 प्रजातियां और उल्लू की 9 प्रजातियां देखी जाती हैं। क्षेत्र में विभिन्न तितली प्रजातियां भी अभिलिखित की गई हैं जिनमें *सेरियाग्रिओन कोरोमनडेलियानम, स्यूडग्रियोन डेकोरम, इस्नुरा डेलीकेट, इस्नुरा सेनेगलेंसिस, एग्रीकोनेमिसॉ योरमे, ब्रैचिथेमिस कनटामिनेट, डीप्लाकोइडेस स्ट्रिवियालिस, ट्राइथेमिस पालिडिनर्विस* आदि शामिल हैं; केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से चेलोनियल जीवजंतुओं की अधिक से अधिक प्रजातियां स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल (*जियोलेमीस हमिलटोनी*), क्राउन्ड रिवर टर्टल (*हार्डेला थुरजी*), इंडियन रूफड टर्टल (*कचुगा टेक्टा*), इंडियन टेंट टर्टल (*कचुगा टेंटोरिया*), इंडियन सोफ्टशेल टर्टल (*एस्पिड्रेटेस गैंगेटिकस*), इंडियन पीकॉक सोफ्टशेल टर्टल (*एस्पिडेरेटेस हरूम*), और इंडियन फ्लैप्सहेल टर्टल (लिस्मिस पुनकटा) हैं। उद्यान में अन्य महत्वपूर्ण सरीसृप इंडियन रॉक पायथन *(पायथन मॉलूरस)*, रसेल' वाइपर *(दबोइया रसेली)*, भारतीय सॉ-स्केल्ड वाइपर *(एचिस कैरिनैटस)*, बंगाल मॉनिटर *(*वरानुस *बेंगालेन्सिस)*, कॉमन रेत बोआ *(एरिक्स कोनिकस)* आदि पाए जाते हैं। उद्यान में इचथयो जीवजंतु भी समृद्ध है उद्यान में मछलियों की लगभग 57 प्रजातियां अभिलिखित की गई है। उद्यान में कुछ सामान्य मछलियां कटला (*कटला कटला*), स्केल-कार्प (*साइप्रिनस कारपिओ कोमिनस*), बाटा लैबियो (*लैबो बाटा*), चिल्वा (*सेलोस्टोमा बाकाइला*), रोहू (*लैबो रोहिता*), एलोंगैटेड ग्लास-पेर्चलेट (*चंदा नामा*), मगुर (*क्लारीस बेट्राचस*), स्टिंगिंग कैटफ़िश (*हेटरोपनेस्टेस फॉसिलिस*) आदि पाई जाती हैं।

और, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाऐं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य भरतपुर जिला में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर 500 मीटर से 1.5 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर 500 मीटर से 1.5 किलोमीटर तक है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 25.61 वर्ग किलोमीटर है।

(2) केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के मानचित्र **उपाबंध -IIक, उपाबंध–IIख, उपाबंध–IIग, उपाबंध–IIघ, उपाबंध–IIङ, उपाबंध–IIच** के रुप में संलग्न हैं।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के भू निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** की सारणी क और सारणी ख में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशंकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रूप में संलग्न है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत 13 ग्राम हैं। 2011 जनगणना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के क्षेत्र की जनसंख्या 20,195 है जिसमें औसत साक्षरता दर लगभग 68.12% है। स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की उच्च साक्षरता दर है। सामान्यतः बोले जाने वाली बोलियां हिन्दी, ब्रज-भाषा, मेवाती और इंगलिश है। क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के मुख्य

स्त्रोत कृषि और पशु पालन हैं। इसके अलावा, क्षेत्र के कई लोग पर्यटन उद्योगों में प्रकृति मार्गदर्शक, रिक्शा चलाना और होटल में कुशल और अर्द्ध कुशल मजदूरों के रूप में, भरतपुर के आसपास और छोटे पैमाने पर उद्योगों के रूप में कार्यरत हैं।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;
(ii) वन और वन्यजीव;
(iii) कृषि;
(iv) राजस्व;
(v) नगर विकास;
(vi) पर्यटन;
(vii) ग्रामीण विकास;
(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
(ix) नगरपालिका;
(x) पंचायती राज; और
(xi) लोक निर्माण विभाग;

IndiaCode

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैराग्राफ-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह-विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए मानीटर समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु यह कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत ग्रह वास सम्मिलित है; और

(v) पैराग्राफ 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.**- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा;

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

IndiaCode

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी;

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे :-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिसोर्टों का स्थापन केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी–पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापन का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरणीय अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक इकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

IndiaCode

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन अधिसूचना 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियां के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने और व्यक्तिगत उपभोग के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगा; (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालित होंगी।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।

6.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
7.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
8.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
9.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
10.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी, जैसे:- परंतु यह कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
12.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे ।
14.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
15.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (भूमिगत केबल के बिछाए

IndiaCode

	बुनियादी ढांचे।	जाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
16.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
20.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
21.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुगधशाला, दुग्ध उद्योग, जल कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
22.	फर्मो, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्तारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण या प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
24.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	पारिस्थितिकी-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
29.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
30.	ध्वनि प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
31.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

IndiaCode

	कारीगर आदि भी हैं।	
35.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	निम्नीकृत भूमि/ वन / वास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	पर्यावरणीय जागररूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी अर्थात्:-

क्र.सं.	**मानीटरी समिति का संघटक**	**पदनाम**
(i)	जिला कलेक्टर भरतपुर, अध्यक्ष	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	निम्नलिखित विभागों के जिला स्तर के अधिकारी: पीडब्ल्यूडी, खनन, सिंचाई, पर्यटन, पुलिस, नगर परिषद, उद्योग, यूआईटी	सदस्य;
(iii)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय अधिकारी (आरओ)	सदस्य;
(iv)	माननीय वन्यजीव वार्डन, भरतपुर	सदस्य;
(v)	एसडीओ, भरतपुर	सदस्य;
(vi)	बीडीओ, सेवार	सदस्य;
(vii)	वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य;
(viii)	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला जैव विविधता का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(ix)	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ	सदस्य;

IndiaCode

(x)	वन (वन्यजीव) भरतपुर के उप संरक्षक	सदस्य सचिव।

6. निर्देश–निबंधन:- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुन: गठन तक के लिए होगा और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी के स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रींय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम, की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध V में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/20/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

IndiaCode

उपाबंध-I

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

क. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की सीमा का विवरण

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान (27°07′06″उ - 27°12′02″ उ और 77°29′05″ पू - 77°33′ 09″ पू), भरतपुर जिला में गंभीर और बानगंगा नदियों के संगम पर स्थित है (मानचित्र 1)।

यह बानगंगा और गंभीर नदी का बाढ़ समतल क्षेत्र में निचला क्षेत्र है जो कि यमुना नदी की सहायक नदियों का लगभग 28.73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आच्छादित करता है। यह दिल्ली से 180 किलोमीटर, दिल्ली-जयपुर राजमार्ग के साथ, आगरा से 50 किलोमीटर और भरतपुर के दक्षिण पूर्व से 2 किलोमीटर में स्थित है।

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान गंगेटिक बेसिन के चरम पश्चिमी किनारे पर, भरतपुर शहर के दक्षिण पूर्व - किलोमीटर, आगरा के पश्चिमी में 55 किलोमीटर और नई दिल्ली के दक्षिण में 187 किलोमीटर पर स्थित है।

ख. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

दिशा	**सीमा**
उत्तर	0.5
उत्तर-पूर्व	0.5
पूर्व	0.5
दक्षिण-पूर्व	1.5
दक्षिण	1.5
दक्षिण-पश्चिम	1.5
पश्चिम	0.5
उत्तर-पश्चिम	0.5

IndiaCode

(क) उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन राजस्थान, भरतपुर जिला में गंभीर और बानगंगा नदियों के संगम पर स्थित है, निचला क्षेत्र लगभग 29 वर्ग किलोमीटर के उत्तर अक्षांश 27° 07′ 06″ और 27° 12′ 02″ और पूर्व देशांतर 77° 29′ 05″ और 77° 33′ 09″ के बीच स्थित है।

(ख) केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमाएं दक्षिण, दक्षिण-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम सीमा की ओर 1.5 किलोमीटर और अधिसूचित सीमाओं के चारों ओर उत्तर, उत्तर- पूर्व, पूर्व, पश्चिम और उत्तर पश्चिम सीमा की ओर 500 मीटर है

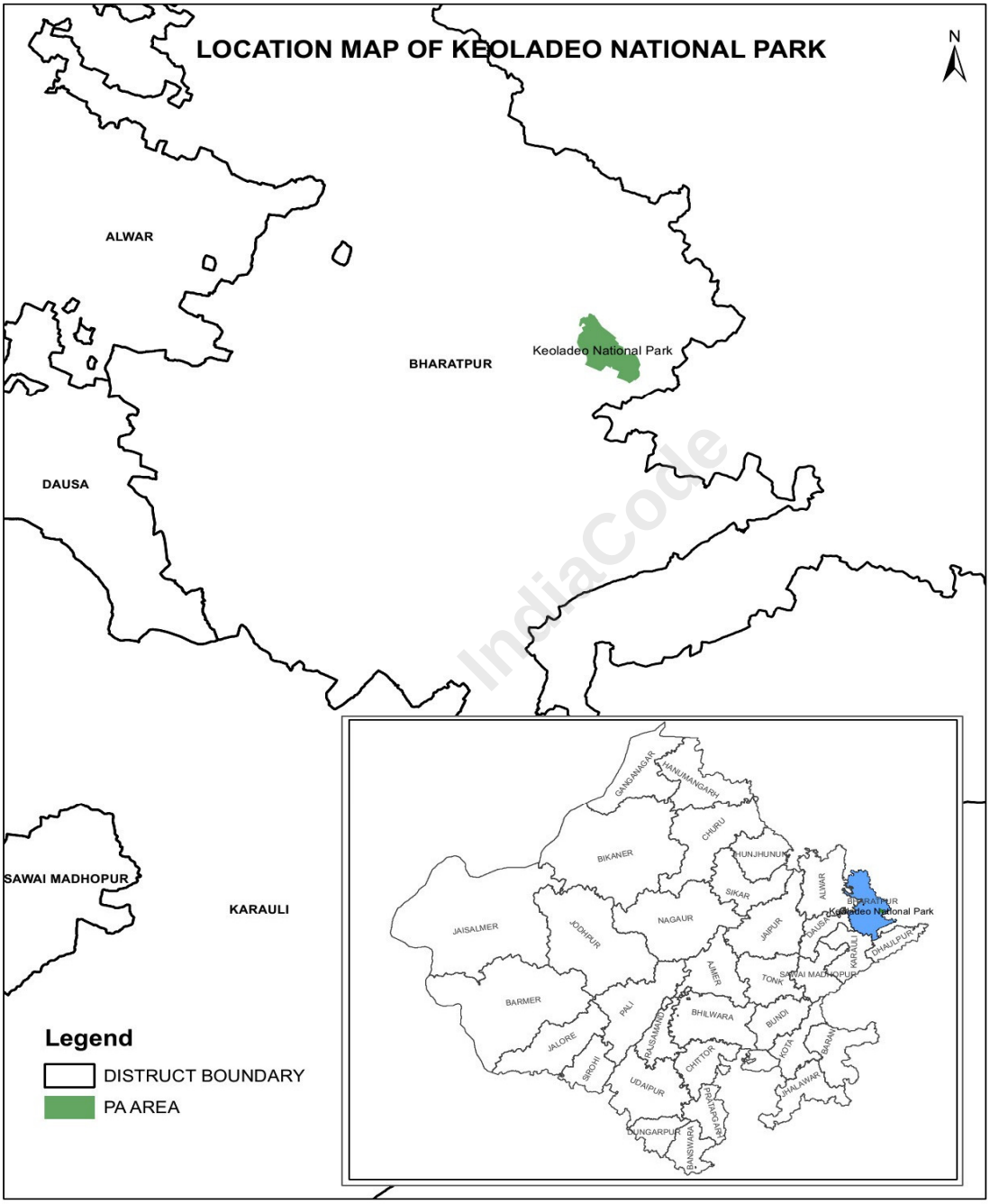
(ग) पारिस्थितिकी संवेदी जोन भरतपुर नगरपालिका निगम और पंचायत समिति सेवा के क्षेत्रों को आच्छादित करता है।

(घ) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र उपाबंध-क में दिया गया है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के ग्रामों की सूची उपाबंध-ख में दी गई है।

(ङ) वन खंड क्षेत्रों (नगरपालिका क्षेत्रों के भीतर और बाहर दोनों) में सभी क्रियाकलाप राजस्थान वन अधिनियम, 1953 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों को नियमित किया गया है और संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यान) में सभी क्रियाकलापों के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के प्रावधानों को नियमित किया गया है।

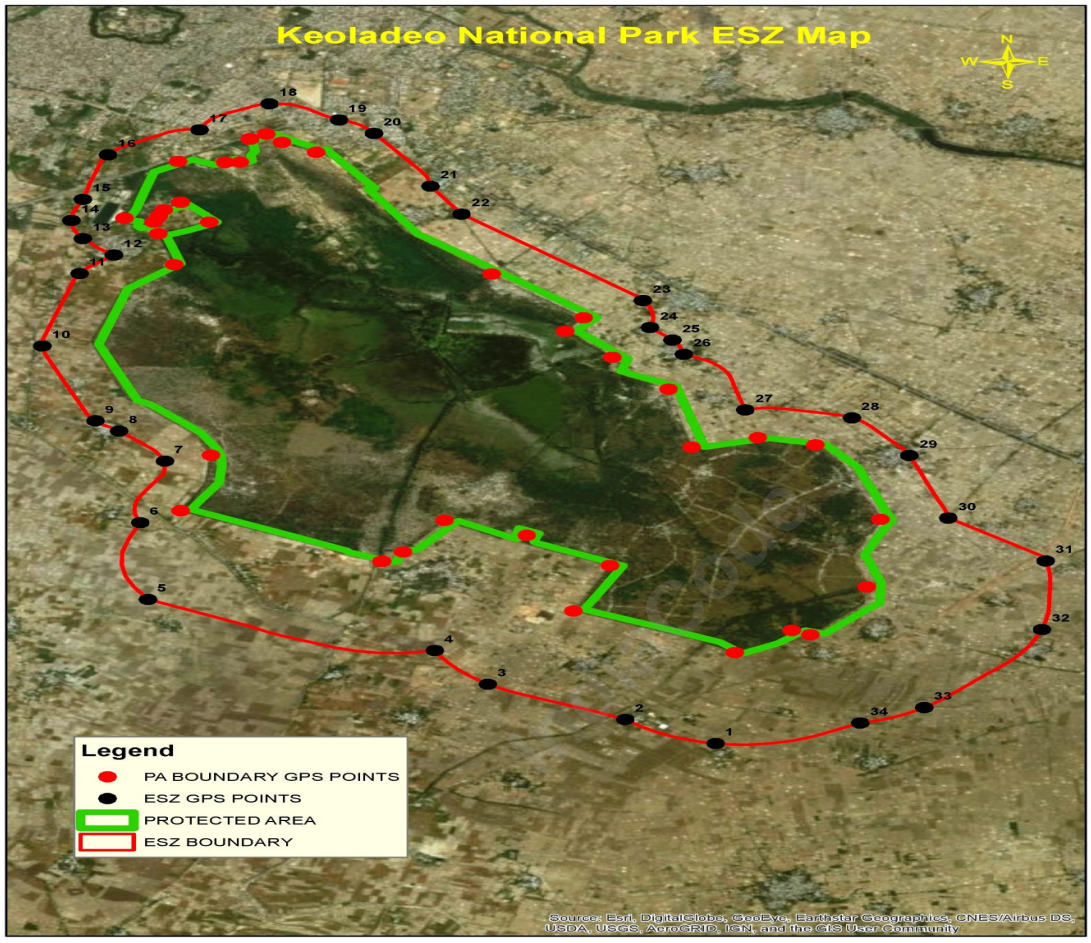
उपाबंध-IIक

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जिला का अवस्थिति मानचित्र



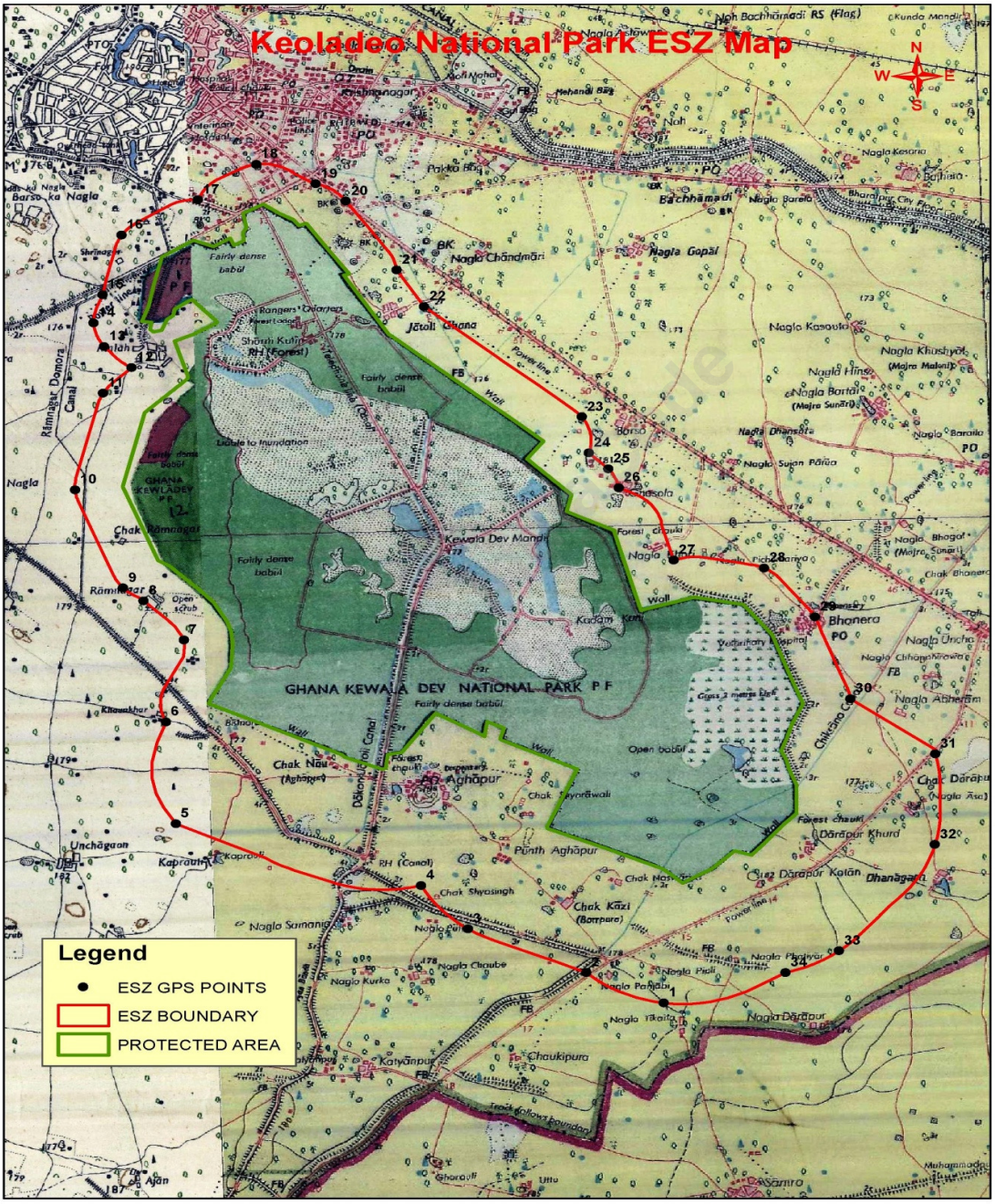
उपाबंध-IIख

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



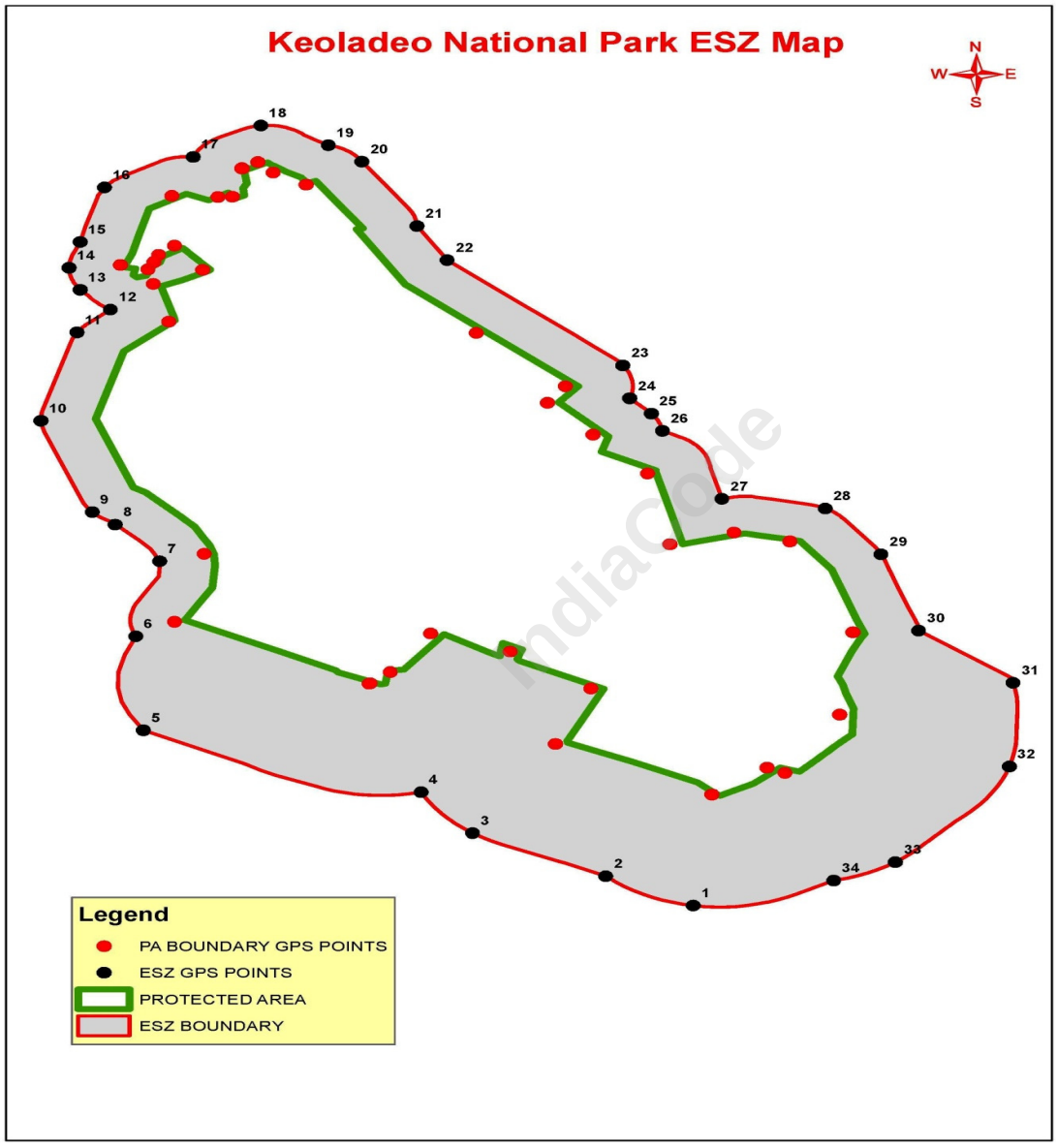
उपाबंध-।।ग

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) की टोपोशीट पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी का मानचित्र



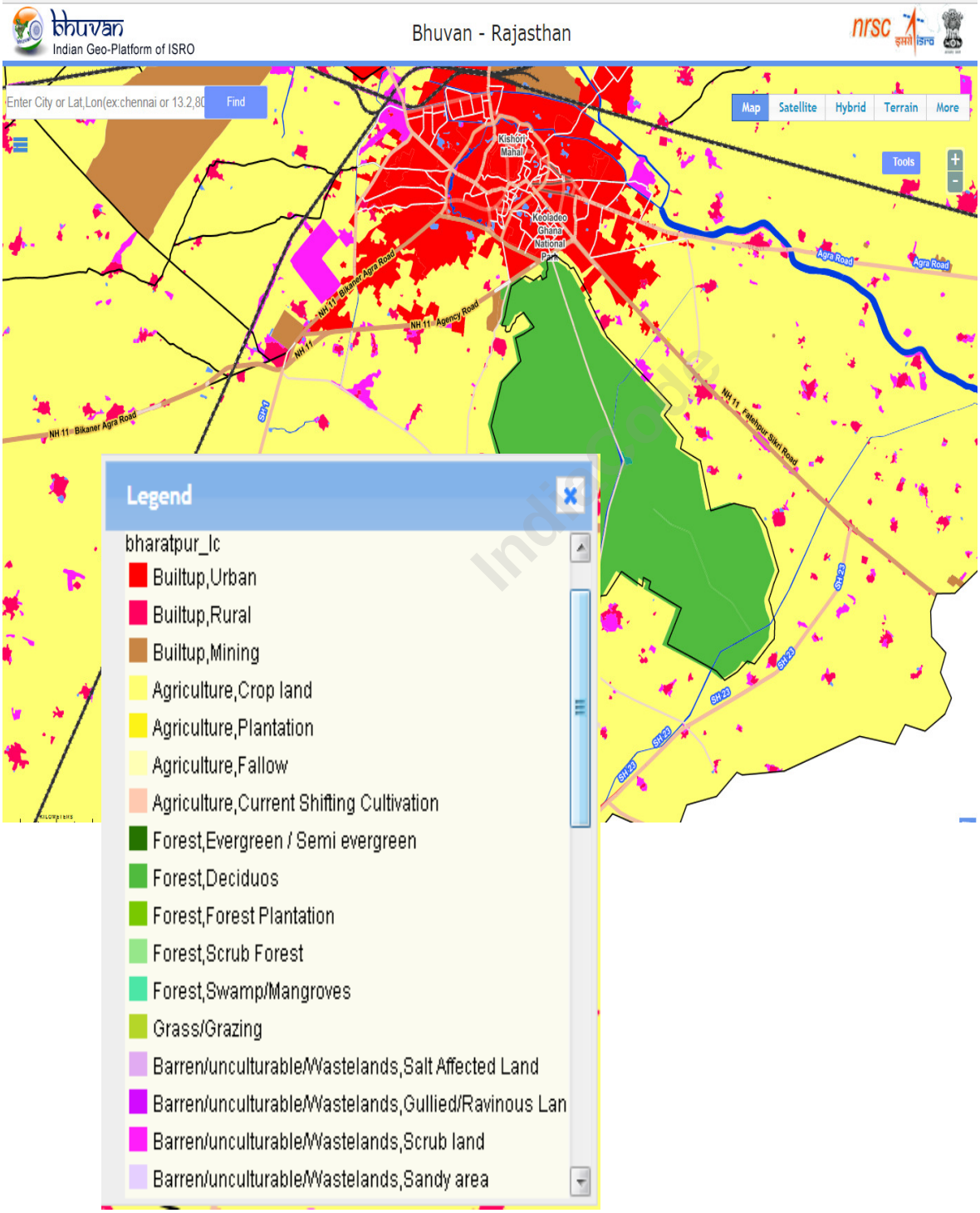
उपाबंध- IIघ

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानिचत्र



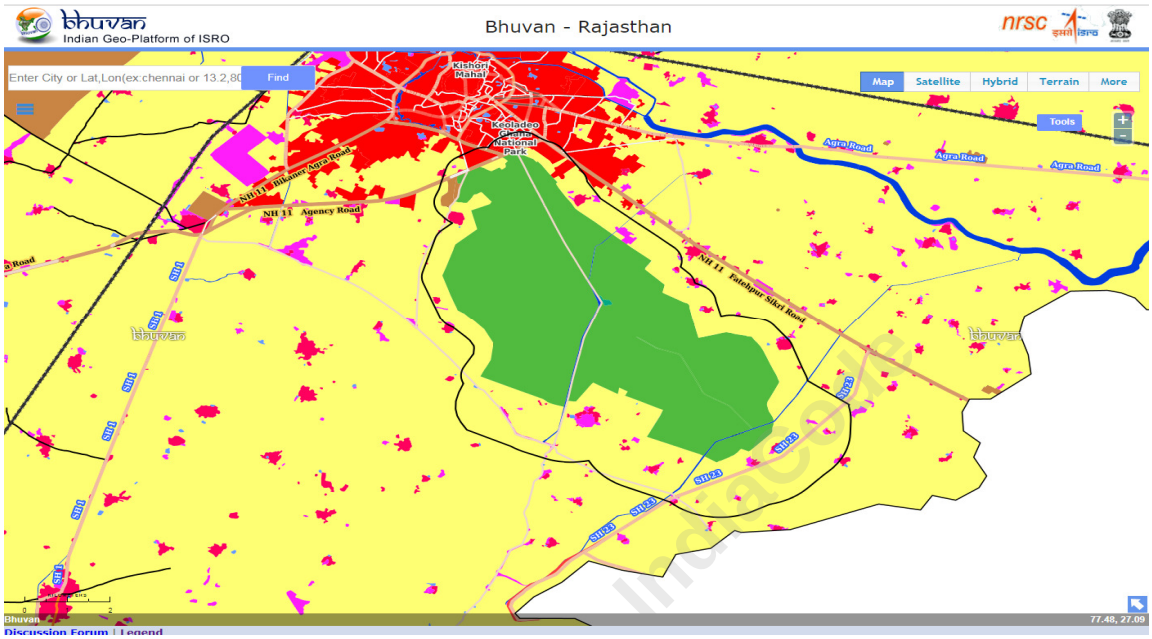
उपाबंध- IIड.

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के भूमि उपयोग एवं भूमि आवरण मानचित्र



उपाबंध- IIच

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भूमि उपयोग एवं भूमि आवरण मानचित्र



उपाबंध -III

सारणी क: केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के प्रमुख स्थानों के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	अक्षांश			देशांतर		
	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड
1	4	5	6	7	8	9
1	27	12	13.5	77	30	25.0
2	27	12	09.00	77	30	30.1
3	27	12	05.00	77	30	37.9
4	27	12	04.9	77	30	37.9
5	27	12	03.0	77	30	39.7
6	27	12	03.7	77	30	40.9
7	27	11	45.9	77	30	55.2
8	27	11	45.7	77	30	55.0
9	27	11	44.8	77	30	55.9
10	27	11	44.7	77	30	55.9
11	27	11	43.9	77	30	54.1
12	27	11	25.7	77	31	06.4

13	27	11	24.8	77	31	05.5
14	27	11	24.6	77	31	05.7
15	27	11	25.5	77	31	06.5
16	27	11	24.8	77	31	07.3
17	27	11	24.7	77	31	07.3
18	27	11	24.5	77	31	07.4
19	27	11	24.5	77	31	07.4
20	27	10	58.7	77	31	37.4
21	27	10	58.7	77	31	37.5
22	27	10	35.3	77	32	07.0
23	27	10	28.2	77	32	01.1
24	27	10	14.2	77	32	16.3
25	27	10	07.1	77	32	14.7
26	27	09	57.2	77	32	34.4
27	27	09	26.1	77	32	41.7
28	27	09	31.2	77	33	03.0
29	27	09	27.3	77	33	21.5
30	27	08	47.6	77	33	42.5
31	27	08	27.6	77	33	32.7
32	27	8	12.3	77	33	37.6
33	27	8	11.5	77	33	38.1
34	27	7	45.9	77	33	20.0
35	27	7	48.3	77	33	14.0
36	27	7	36.4	77	32	55.6
37	27	7	58.7	77	32	03.8
38	27	8	22.9	77	32	15.5
39	27	8	35.2	77	31	47.1
40	27	8	39.2	77	31	48.8
41	27	8	42.5	77	31	42.0
42	27	8	37.1	77	31	40.7
43	27	8	47.1	77	31	22.4
44	27	8	30.1	77	31	09.0
45	27	8	30.7	77	31	03.4
46	27	8	25.3	77	31	02.2
47	27	8	25.2	77	31	02.2
48	27	8	25.0	77	31	02.0

IndiaCode

49	27	8	52.2	77	29	57.4
50	27	9	22.0	77	30	07.2
51	27	11	03.7	77	29	55.4
52	27	11	20.3	77	29	50.3
53	27	11	26.4	77	30	06.7
54	27	11	37.0	77	29	57.4
55	27	11	34.3	77	29	52.1
56	27	11	34.1	77	29	51.9
57	27	11	33.6	77	29	51.8
58	27	11	32.9	77	29	52.0
59	27	11	29.8	77	29	50.4
60	27	11	30.1	77	29	49.3
61	27	11	28.7	77	29	48.6
62	27	11	27.7	77	29	49.2
63	27	11	26.5	77	29	48.6
64	27	11	28.5	77	29	39.3
65	27	11	55.5	77	29	48.6
66	27	11	69.3	77	29	56.2
67	27	11	58.8	77	29	56.5
68	27	11	54.9	77	30	04.2
69	27	11	58.3	77	30	11.7
70	27	11	56.4	77	30	13.5
71	27	11	58.5	77	30	16.5
72	27	12	04.2	77	30	17.9
73	27	12	07.8	77	30	13.8
74	27	12	10.8	77	30	19.5
75	27	12	10.7	77	30	19.7
76	27	12	10.7	77	30	19.8
77	27	12	10.9	77	30	19.6

IndiaCode

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख स्थानों के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	देशांतर	अक्षांश
1	77° 32' 49.543" पू	27° 6' 47.809" उ
2	77° 32' 20.475" पू	27° 7' 0.788" उ
3	77° 31' 36.207" पू	27° 7' 19.570" उ
4	77° 31' 19.100" पू	27° 7' 37.487" उ

5	77° 29' 46.929" पू	27° 8' 4.717" उ
6	77° 29' 44.398" पू	27° 8' 45.788" उ
7	77° 29' 52.300" पू	27° 9' 18.690" उ
8	77° 29' 37.610" पू	27° 9' 34.830" उ
9	77° 29' 29.973" पू	27° 9' 40.201" उ
10	77° 29' 12.954" पू	27° 10' 20.221" उ
11	77° 29' 24.859" पू	27° 10' 58.917" उ
12	77° 29' 36.057" पू	27° 11' 8.879" उ
13	77° 29' 25.922" पू	27° 11' 17.634" उ
14	77° 29' 22.283" पू	27° 11' 27.236" उ
15	77° 29' 25.921" पू	27° 11' 38.524" उ
16	77° 29' 34.009" पू	27° 12' 2.418" उ
17	77° 30' 3.425" पू	27° 12' 15.790" उ
18	77° 30' 26.030" पू	27° 12' 29.552" उ
19	77° 30' 48.287" पू	27° 12' 21.038" उ
20	77° 30' 59.546" पू	27° 12' 13.825" उ
21	77° 31' 17.843" पू	27° 11' 45.578" उ
22	77° 31' 27.834" पू	27° 11' 30.649" उ
23	77° 32' 26.110" पू	27° 10' 44.572" उ
24	77° 32' 28.394" पू	27° 10' 30.010" उ
25	77° 32' 35.562" पू	27° 10' 23.388" उ
26	77° 32' 39.205" पू	27° 10' 15.741" उ
27	77° 32' 59.045" पू	27° 9' 45.973" उ
28	77° 33' 33.258" पू	27° 9' 41.899" उ
29	77° 33' 51.887" पू	27° 9' 21.781" उ
30	77° 34' 4.367" पू	27° 8' 48.322" उ
31	77° 34' 35.685" पू	27° 8' 25.343" उ
32	77° 34' 34.435" पू	27° 7' 48.859" उ
33	77° 33' 56.622" पू	27° 7' 6.962" उ
34	77° 33' 36.061" पू	27° 6' 58.815" उ

IndiaCode

उपाबंध -IV

भू-निर्देशांकों के साथ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम क्षेत्र की सूची

क्र.सं.	शहर/ग्राम	अक्षांश	देशांतर	तहसील
1.	जवाहर नगर कालोनी	77° 30' 17.22"	27° 12' 25.30"	भरतपुर
2.	जटोली	77° 31' 11.04"	27° 11' 28.93"	भरतपुर

3.	घसोला	77° 32' 45.3"	27° 10' 16.1"	भरतपुर
4.	खोहरी नगला	77° 32' 55.6"	27° 09' 52.6"	भरतपुर
5.	बेहनेरा	77° 33' 55.3"	27° 09' 20.9"	भरतपुर
6.	दारापुर खुर्द	77° 33' 50.1"	27° 07' 42.0"	भरतपुर
7.	दारापुर कलान	77° 33' 31.8"	27° 07' 35.2"	भरतपुर
8.	नसवारिया	77° 32' 31.3"	27° 07' 35.4"	भरतपुर
9.	चक शेवरावाली	77° 31' 56.32"	27° 08' 18.92"	भरतपुर
10.	अघापुर	77° 31' 21.0"	27° 08' 19.8"	भरतपुर
11.	रामनगर	77° 29' 05.8"	27° 09' 0.4"	भरतपुर
12.	चक रामनगर	77° 29' 28.5"	27° 09' 54.8"	भरतपुर
13.	मल्लाह	77° 29' 36.4"	27° 11' 21.7"	भरतपुर
14.	चकसियोसिंघ	77° 30' 26.92"	27° 07' 14.58"	भरतपुर
15.	नागला बनजारा	77° 31' 45.50"	27° 07' 41.54"	भरतपुर
16.	चक्कजी	77° 32' 07.55"	27° 07' 31.42"	भरतपुर
17.	खोखार	77° 28' 43.65"	27° 08' 49.96"	भरतपुर
18.	चाक चोबा	77° 30' 52.52"	27° 07' 01.8"	भरतपुर
19.	नागलाफटीयार	77° 32' 46.69"	27° 06' 40.19"	भरतपुर
20.	धानगरह	77° 34' 34.4"	27° 07' 16.71"	भरतपुर
21.	चाक दरापुर	77° 33' 37.83"	27° 07' 57.74"	भरतपुर
22.	सकटपुर	77° 32' 25.24"	27° 06' 59.81"	भरतपुर

उपाबंध V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए व्यवहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।

IndiaCode

6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2019

S.O. 2606(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, number S.O. 5844(E) dated the 27th November, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 28th November, 2018;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, Keoladeo National Park is situated at the confluence of the Gambhir and Banganga rivers in Bharatpur district, Rajasthan (27°07′06″N - 27°12′02″N and 77°29′05″E - 77°33′ 09″E) spread over an area of 28.73 square kilometer. It is a low lying area in the floodplains of river Banganga and Gambhir which are the tributaries of river Yamuna. It is situated about 180 kilometers from Delhi, along the Delhi – Jaipur Highway, 50 kilometers from Agra and 2 kilometers South East of Bharatpur;

AND WHEREAS, this National Park, locally known as Ghana, is a mosaic of grasslands, woodlands, woodland swamps and wetlands. The National Park has significant international ecological importance and it has been declared as a Ramsar site in 1981 and a World Heritage site in 1985. The National Park is often referred to as Bird's Paradise and acts as a major wintering area for migratory birds from Central Asia including for rare and endangered central population of the Siberian Crane. The Keoladeo National Park has significant conservation values as it supports a vast array of flora and fauna which forms important tropic components in ecological pyramids. The wetland regulates the climate of the surrounding area and recharges the groundwater aquifer of the area. The wetland is a centre for ornithological recreation as it provides habitat for many migratory and native birds. It is a wetland of international and national importance;

AND WHEREAS, Keoladeo National Park is rich in biodiversity consisting of diverse habitats for 375 avian species including 140 species of waterfowl, 372 species of plants, 34 species of mammals, 57 species of fish, 14 species of snakes, 5 species of lizards, 3 species of Geckos, 7 species of turtles, 8 species of amphibians, 71 species of butterflies, more than 16 species of dragonflies and 8 species of spiders. The Keoladeo National Park falls in the Punjab plains biotic province of semi-arid bio-geographical zone, which is a flat dry area of the Indus-Yamuna watershed. The vegetation of the National Park is a blend of xerophytes and semi–xerophytes consisting predominantly of desi babool (*Acacia nilotica), Capparis decidua, C. sepiaria,* kadam (*Mitragyna parviflora),* kejri *(Prosopis cineraria),* pilu *(Salvadora oleoides),* jamun (*Syzygium cumini)* and *Zizyphus* sp. The most widespread grasses in the National Park are *Paspalum distichum, Paspalidium punctatum, Cynodon dactylon, Desmostachya bipinnata, Dicanthium annulatum* and *Vetiveria zizanioides.* Kadam *(Mitragyna parviflora*) trees, distributed in scattered pockets, dominate large sized trees and the woodland, while thorny *Acacia* sp. and *Prosopis juliflora* shrubs dominate shrub lands. The major plant species found in woodland are *Mitragyna parviflora, Syzygium cumini, Acacia nilotica, Salvadora sp., Capparis sp.* and *Zizyphus* sp. Altogether, the National Park supports 372 plant species which includes 96 aquatic plants;

AND WHEREAS, nilgai (*Boselaphus tragocamelus*), feral cattle (*Bos taurus*) and chital (*Cervus axis*) are abundant while sambar (*Cervus unicolor*) is rare species recorded from this protected area. Small Indian mongoose (*Herpestes javanicus*), small Indian civet (*Viverricula indica*), striped hyaena (*Hyaena hyaena*), Indian hedgehog (*Hemiechinus micropus*), Indian porcupine (*Hystrix indica*) and hog deer (*Axis porcinus*) are very rarely sighted. Two lesser cats the Jungle cat (*Felis chaos*) and fishing cat (*Prionailurus viverrinus*) and two civets *viz.* common palm civet (*Paradoxurus hermaphroditus*) and small Indian civet (*Viverricula indica*) are found in the protected area;

AND WHEREAS, important bird species of the National Park are painted stork, open bill stork, grey heron, purple heron, night heron, large egret, intermediate egret, little egret, cattle egret, black headed ibis, little cormorant, Indian shag, large cormorant, Indian darter, Eurasian spoonbill. Numerous birds also breeds in the National Parks which includes white necked stork, black necked stork, little green heron, black bittern, chestnut bittern, yellow bittern, sarus crane, comb duck, spot billed duck, lesser whistling teal, cotton teal, pheasant tailed jacana, bronze winged jacana, purple moorhen, white breasted water hen, painted snip, black patridge, grey francolin, button bush quail, short toed eagle, lesser spotted eagle, greater spotted eagle, honey buzzard, sparrow hawk, dusky horned owl, collared spotted owlet, barn owl, mottled wood owl, coppersmith barbet, brown headed barbet, lesser flame back, yellow fronted pied wood pecker, brown crowned pigmy woodpecker, white cheeked bulbul, red vented bulbul, laughing dove, red turtle dove, ring dove, paradise flycatcher, common wood shrike, bay backed shrike, long tailed shrike, jungle babbler, large grey babbler, common babbler, yellow eyed babbler, streaked fan tailed babbler, purple sunbird, tailor bird, Indian prinia, ashy prinia, pied myna, brahmini myna, common myna, red munia, Indian silver bill, spotted munia, black drongo, jungle crow, house crow, house sparrow, yellow throated sparrow, indian grey hornbill, small minivet, golden oriole, white breasted kingfisher, common kingfisher, little green bee eater, wire tailed swallow, dusky crag marten, red wattled lapwing, yellow wattled lapwing, Indian courser, great thick knee, chestnut bellied nuthatch, Eurasian koel, common hawk cuckoo, chestnut bellied sand grouse, Egyptian vulture, king vulture, crested lark, paddy field pipit, magpie robin, Indian robin, brown rock chat, Indian roller, white browed wagtail, rose ringed parakeet, rock pigeon, yellow footed green pigeon, etc.;

AND WHEREAS, Keoladeo National Park used to be the only wintering area for the rare and endangered central population of the Siberian crane till 2002. It serves as a major wintering area for migratory birds from Central Asia. Around 42 species of raptors and 9 species of owls are seen in the National Park. The area has also recorded various butterfly species including *Ceriagrion coromandelianum, Pseudagrion decorum, Ischnura delicate, Ischnura senegalensis, Agriocnemis oygmae, Brachythemis contaminate, Deplacoides trivialis, Trithemis pallidinervis,* etc. As many as seven species of chelonian fauna are reported from the Keoladeo National Park. Spotted pond turtle *(Geoclemys hamiltonii),* crowned river turtle *(Hardella thurjii),* Indian roofed turtle *(Kachuga tecta),* Indian tent turtle *(Kachuga tentoria),* Indian softshell turtle *(Aspideretes gangeticus)*, Indian peacock softshell turtle *(Aspideretes hurum)*, and Indian flapshell turtle *(Lissemys punctata).* Other important reptiles found in the National Park are Indian rock python *(Python molurus),* Russell's viper *(Daboia russelii),* Indian saw-scaled viper *(Echis carinatus),* Bengal monitor *(Varanus bengalensis),* common sand boa *(Eryx conicus),* etc. The National Park is rich in Ichthyofauna also. About 57 species of fishes have been reported in the National Park. catla (*Catla catla),* scale-carp (*Cyprinus carpio comminus),* bata labeo (*Labeo bata),* chilwa (*Salmostoma bacaila*), rohu (*Labeo rohita*), elongated glass-perchlet (*Chanda nama*), magur (*Clarias batrachus*), stinging catfish (*Heteropneustes fossilis*), etc are some common fish found in the National Park;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Keoladeo National Park which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 500 meters to 1.5 kilometres around the boundary of Keoladeo National Park, in Bharatpur districts in the State of Rajasthan as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. –** (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 500 meters to 1.5 kilometres around the boundary of Keoladeo National Park and the area of the Eco-sensitive Zone is 25.61 square kilometres.

(2) The boundary description of Keoladeo National Park and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

(3) The maps of the Keoladeo National Park demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB, Annexure-IIC**, **Annexure-IID, Annexure-IIE, Annexure-IIF** and **Annexure-IIG.**

(4) List of geo-coordinates of the boundary of Keoladeo National Park and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III.**

(5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.** There are 13 villages falling inside the Eco-sensitive zone. As of 2011 census, the villages falling under the Eco-sensitive Zone area had a population of 20,195 with an average literacy rate of around 68.12%. Males have higher literacy rate than the females. The languages commonly spoken are Hindi, Braj-Bhasha, Mewati and English. The major source of economy of the area is Agriculture and Animal

husbandry. Besides, many people of the area are engaged in tourism industries as nature guides, rickshaw pullers and as skilled and semi-skilled labourers in hotels, small scaled industries in and around Bharatpur.

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal;

(x) Panchayati Raj; and

(xi) Public Works Department.

IndiaCode

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development.

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be

IndiaCode

identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Commercial establishment of hotels and resorts.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.

IndiaCode

7.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
8.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
9.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Use of polythene bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
B. Regulated Activities		
11.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
16.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.

19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
22.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
23.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
24.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage	Regulated under applicable laws and the activity shall be strictly monitored by the concerned authority.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Noise pollution.	Regulated as per the applicable laws.
	C. Promoted Activities	
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
36.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
37.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
38.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
39.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
40.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	District Collector Bharatpur, Chairman	Chairman, Ex-officio

(ii)	District level officers of the following departments: PWD, Mining, Irrigation, Tourism, Police, Municipal council, Industry, UIT	Member;
(iii)	Regional Officer (RO) of the State Pollution Control Board	Member;
(iv)	Wildlife Warden Bharatpur	Member;
(v)	SDO Bharatpur	Member;
(vi)	BDO Sewar	Member;
(vii)	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
(viii)	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
(ix)	One expert in Ecology from reputed institution or university of the State	Member;
(x)	Deputy Conservator of Forest (Wildlife) Bharatpur	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/20/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF KEOLADEO NATIONAL PARK AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE

A. BOUNDARY DESCRIPTION OF KEOLADEO NATIONAL PARK

Keoladeo National Park lies at the confluence of the Gambhir and Banganga rivers in Bharatpur district, Rajasthan (27°07′06″N - 27°12′02″N and 77°29′05″E - 77°33′ 09″E) (Map.1).

It is a low lying area in the floodplains of river Banganga and Gambhir which are tributaries of river Yamuna covering an area of about 28.73 sq. km. It is situated 180 km from Delhi, along the Delhi – Jaipur Highway, 50 km. from Agra and 2 km. South East of Bharatpur.

Keoladeo National Park is situated on the extreme western edge of the Gangetic basin, a kilometre south east of the Bharatpur town; 55 km west of Agra and 187 km south of New Delhi.

B. BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KEOLADEO NATIONAL PARK

Direction	**Extent**
North	0.5
North- East	0.5
East	0.5
South-East	1.5
South	1.5
South-West	1.5
West	0.5
North-West	0.5

(a) The said Eco-sensitive Zone is situated at the confluence of the Gambhir and Banganga rivers in Bharatpur district, Rajasthan, lies the low lying area of about 29 sq.km between 27° 07` 06`` and 27° 12` 02`` North latitude and between 77° 29` 05`` and 77° 33` 09`` East longitude.

(b) The boundaries of Eco-sensitive Zone for Keoladeo National Park will be 1.5 km meters towards south, South-East and South-West boundary and 500 metres towards North, North-East, East, West and North-West boundary around the notified limits.

(c) The Eco-sensitive Zone covers the areas of Bharatpur Municipal Corporation and Panchayat samiti Sewar.

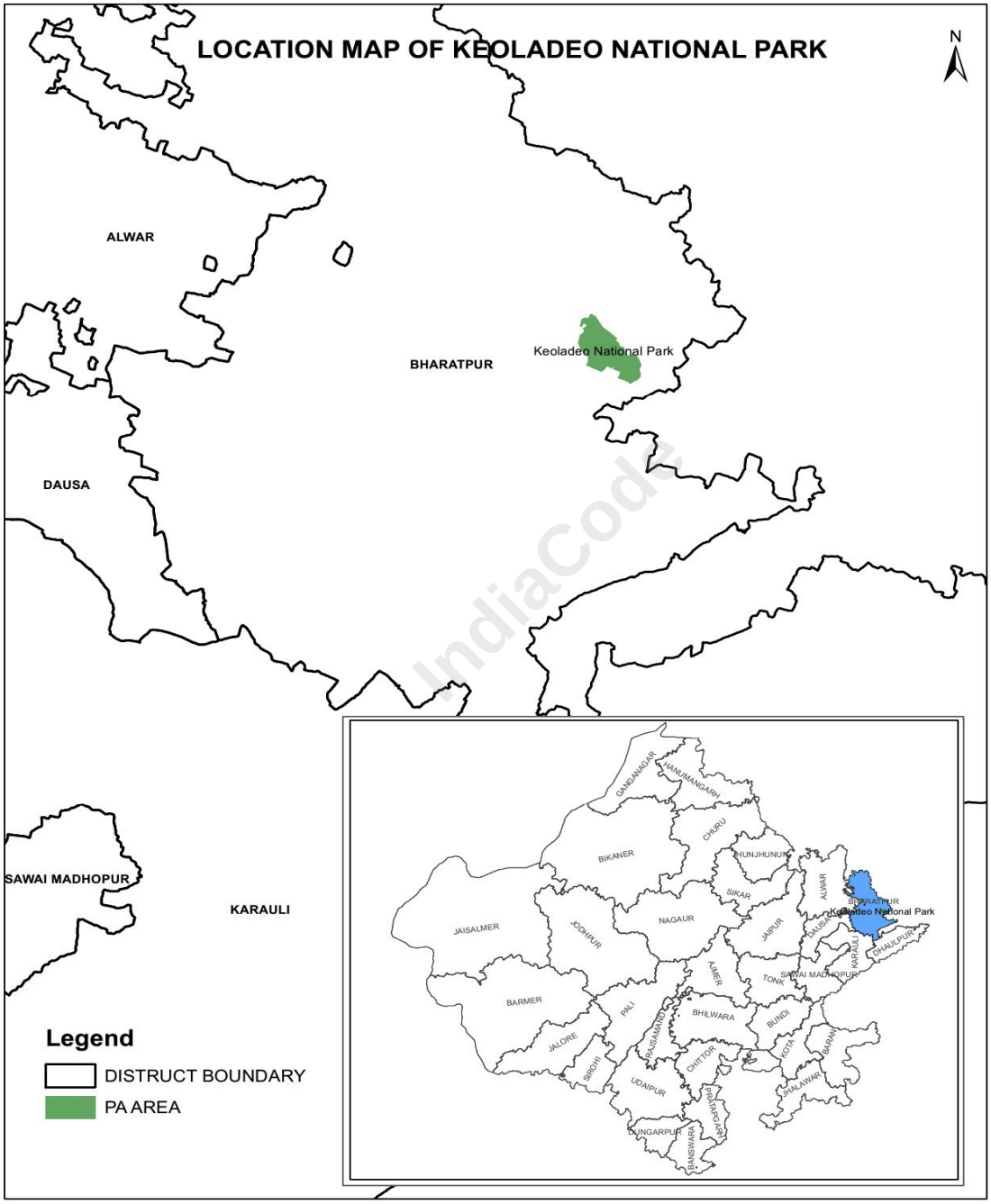
(d) The map of the Eco-sensitive Zone is at Annexure-A and the list of the villages in the Eco-sensitive Zone is at Annexure-B.

(e) All activities in the Forest Block Areas (both within and outside Municipal Areas) shall be governed by the provisions of the Rajasthan Forest Act, 1953 and the Forests (Conservation) Act, 1980 and all the activities in the Protected Areas (National Park) shall be governed by the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972).

IndiaCode

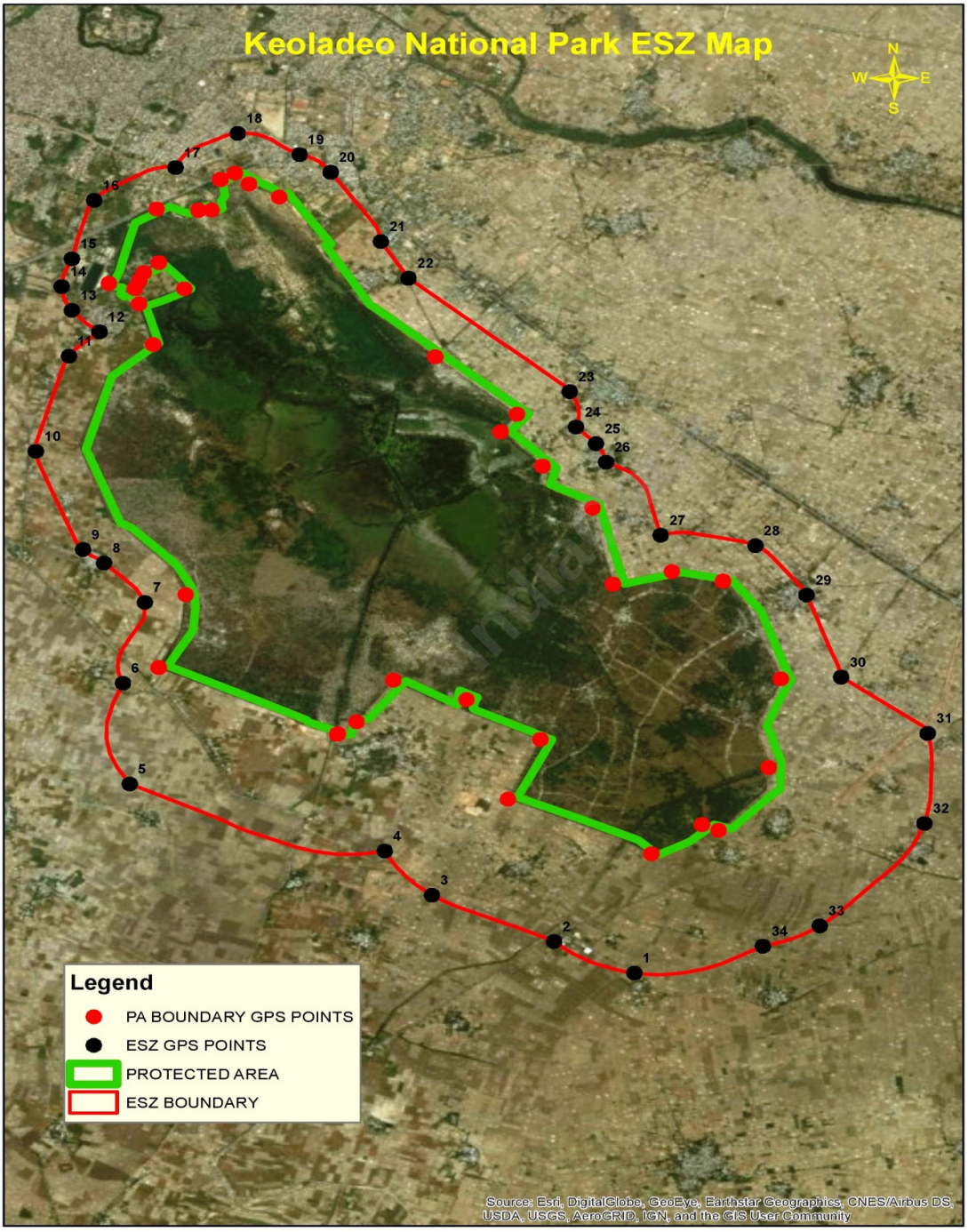
ANNEXURE- IIA

LOCATION MAP OF KEOLADEO NATIONAL PARK IN BHARATPUR DISTRICT OF RAJASTHAN



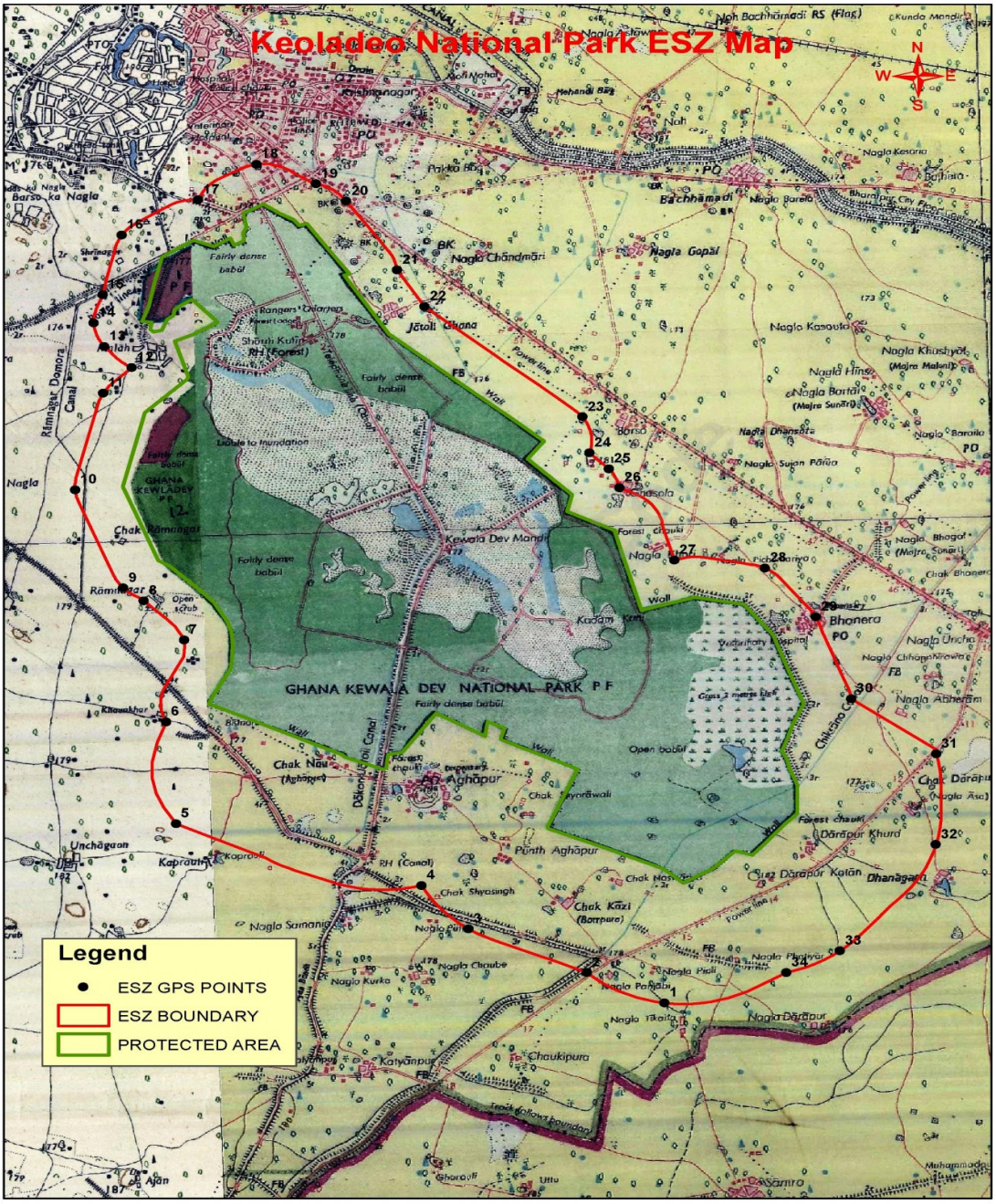
ANNEXURE- IIB

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KEOLADEO NATIONAL PARK ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



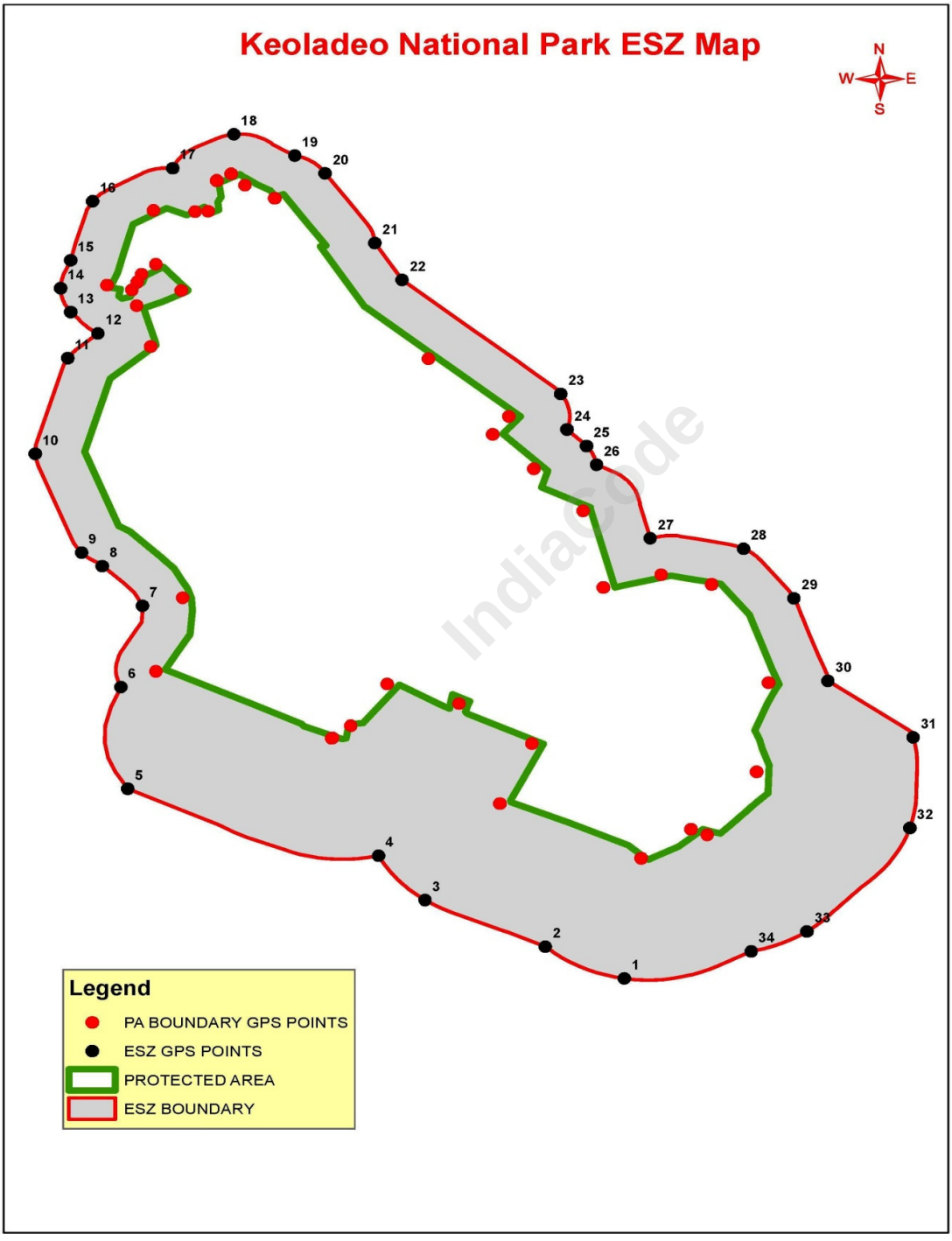
ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KEOLADEO NATIONAL PARK ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET



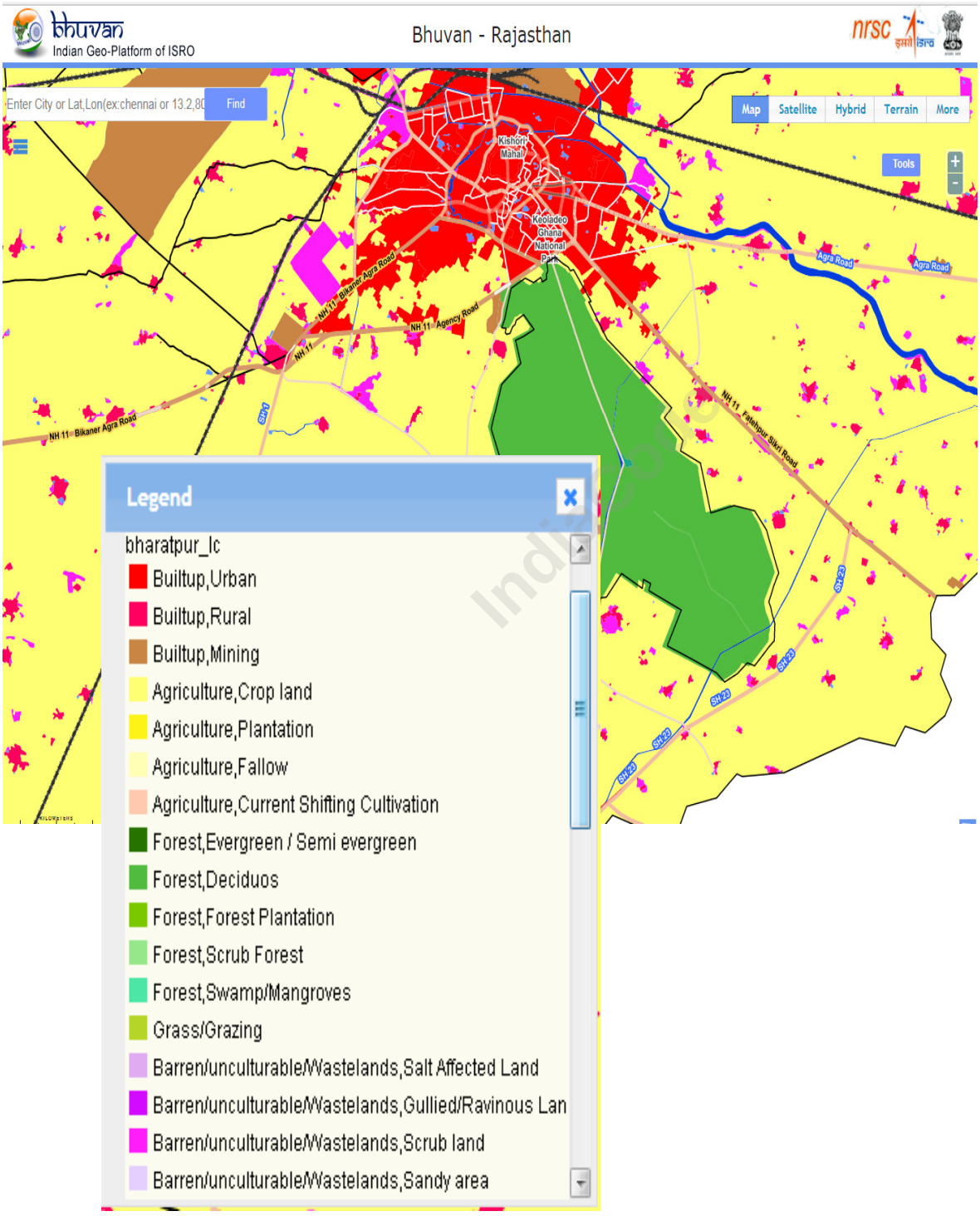
ANNEXURE- IID

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KEOLADEO NATIONAL PARK ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



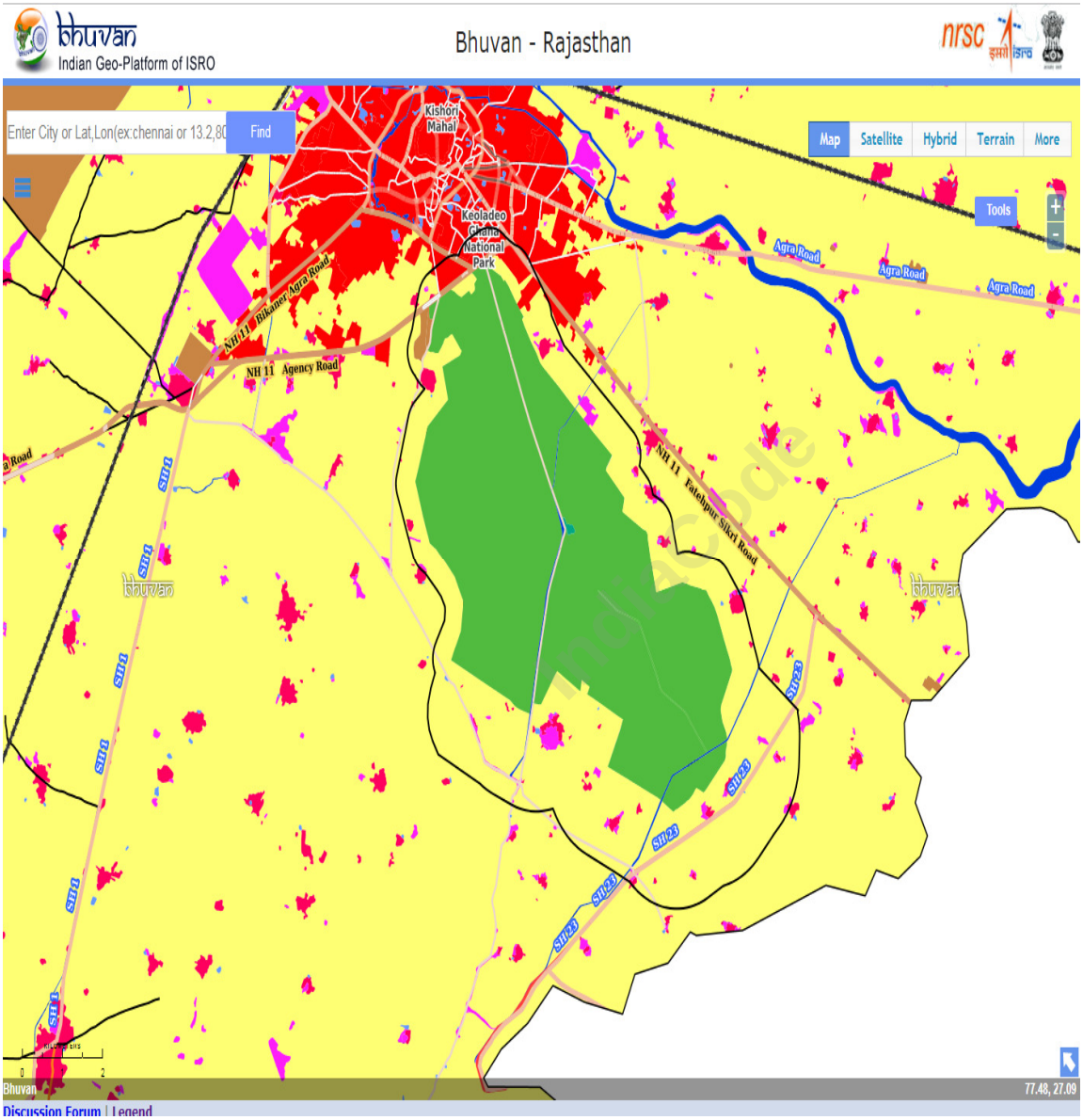
ANNEXURE- IIE

LAND USE & LAND COVERS MAP OF KEOLADEO NATIONAL PARK



ANNEXURE- IIF

LAND USE & LAND COVERS MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KEOLADEO NATIONAL PARK



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF KEOLADEO NATIONAL PARK

S.N.	Latitude			Longitude		
	Degree	Minute	Second	Degree	Minute	Second
1	4	5	6	7	8	9
1	27	12	13.5	77	30	25.0
2	27	12	09.00	77	30	30.1
3	27	12	05.00	77	30	37.9
4	27	12	04.9	77	30	37.9

5	27	12	03.0	77	30	39.7
6	27	12	03.7	77	30	40.9
7	27	11	45.9	77	30	55.2
8	27	11	45.7	77	30	55.0
9	27	11	44.8	77	30	55.9
10	27	11	44.7	77	30	55.9
11	27	11	43.9	77	30	54.1
12	27	11	25.7	77	31	06.4
13	27	11	24.8	77	31	05.5
14	27	11	24.6	77	31	05.7
15	27	11	25.5	77	31	06.5
16	27	11	24.8	77	31	07.3
17	27	11	24.7	77	31	07.3
18	27	11	24.5	77	31	07.4
19	27	11	24.5	77	31	07.4
20	27	10	58.7	77	31	37.4
21	27	10	58.7	77	31	37.5
22	27	10	35.3	77	32	07.0
23	27	10	28.2	77	32	01.1
24	27	10	14.2	77	32	16.3
25	27	10	07.1	77	32	14.7
26	27	09	57.2	77	32	34.4
27	27	09	26.1	77	32	41.7
28	27	09	31.2	77	33	03.0
29	27	09	27.3	77	33	21.5
30	27	08	47.6	77	33	42.5
31	27	08	27.6	77	33	32.7
32	27	8	12.3	77	33	37.6
33	27	8	11.5	77	33	38.1
34	27	7	45.9	77	33	20.0
35	27	7	48.3	77	33	14.0
36	27	7	36.4	77	32	55.6
37	27	7	58.7	77	32	03.8
38	27	8	22.9	77	32	15.5
39	27	8	35.2	77	31	47.1
40	27	8	39.2	77	31	48.8
41	27	8	42.5	77	31	42.0
42	27	8	37.1	77	31	40.7
43	27	8	47.1	77	31	22.4
44	27	8	30.1	77	31	09.0
45	27	8	30.7	77	31	03.4
46	27	8	25.3	77	31	02.2
47	27	8	25.2	77	31	02.2
48	27	8	25.0	77	31	02.0
49	27	8	52.2	77	29	57.4
50	27	9	22.0	77	30	07.2
51	27	11	03.7	77	29	55.4
52	27	11	20.3	77	29	50.3

IndiaCode

53	27	11	26.4	77	30	06.7
54	27	11	37.0	77	29	57.4
55	27	11	34.3	77	29	52.1
56	27	11	34.1	77	29	51.9
57	27	11	33.6	77	29	51.8
58	27	11	32.9	77	29	52.0
59	27	11	29.8	77	29	50.4
60	27	11	30.1	77	29	49.3
61	27	11	28.7	77	29	48.6
62	27	11	27.7	77	29	49.2
63	27	11	26.5	77	29	48.6
64	27	11	28.5	77	29	39.3
65	27	11	55.5	77	29	48.6
66	27	11	69.3	77	29	56.2
67	27	11	58.8	77	29	56.5
68	27	11	54.9	77	30	04.2
69	27	11	58.3	77	30	11.7
70	27	11	56.4	77	30	13.5
71	27	11	58.5	77	30	16.5
72	27	12	04.2	77	30	17.9
73	27	12	07.8	77	30	13.8
74	27	12	10.8	77	30	19.5
75	27	12	10.7	77	30	19.7
76	27	12	10.7	77	30	19.8
77	27	12	10.9	77	30	19.6

IndiaCode

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Sl. No.	LONGITUDE	LATITUDE
1	77° 32' 49.543" E	27° 6' 47.809" N
2	77° 32' 20.475" E	27° 7' 0.788" N
3	77° 31' 36.207" E	27° 7' 19.570" N
4	77° 31' 19.100" E	27° 7' 37.487" N
5	77° 29' 46.929" E	27° 8' 4.717" N
6	77° 29' 44.398" E	27° 8' 45.788" N
7	77° 29' 52.300" E	27° 9' 18.690" N
8	77° 29' 37.610" E	27° 9' 34.830" N
9	77° 29' 29.973" E	27° 9' 40.201" N
10	77° 29' 12.954" E	27° 10' 20.221" N
11	77° 29' 24.859" E	27° 10' 58.917" N
12	77° 29' 36.057" E	27° 11' 8.879" N
13	77° 29' 25.922" E	27° 11' 17.634" N
14	77° 29' 22.283" E	27° 11' 27.236" N
15	77° 29' 25.921" E	27° 11' 38.524" N
16	77° 29' 34.009" E	27° 12' 2.418" N

17	77° 30' 3.425" E	27° 12' 15.790" N
18	77° 30' 26.030" E	27° 12' 29.552" N
19	77° 30' 48.287" E	27° 12' 21.038" N
20	77° 30' 59.546" E	27° 12' 13.825" N
21	77° 31' 17.843" E	27° 11' 45.578" N
22	77° 31' 27.834" E	27° 11' 30.649" N
23	77° 32' 26.110" E	27° 10' 44.572" N
24	77° 32' 28.394" E	27° 10' 30.010" N
25	77° 32' 35.562" E	27° 10' 23.388" N
26	77° 32' 39.205" E	27° 10' 15.741" N
27	77° 32' 59.045" E	27° 9' 45.973" N
28	77° 33' 33.258" E	27° 9' 41.899" N
29	77° 33' 51.887" E	27° 9' 21.781" N
30	77° 34' 4.367" E	27° 8' 48.322" N
31	77° 34' 35.685" E	27° 8' 25.343" N
32	77° 34' 34.435" E	27° 7' 48.859" N
33	77° 33' 56.622" E	27° 7' 6.962" N
34	77° 33' 36.061" E	27° 6' 58.815" N

IndiaCode

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF KEOLADEO NATIONAL PARK ALONG WITH GEO-COORDINATES

S. No.	Township/Village	Latitude	Longitude	Tehsil
1.	Jawahar Nagar Colony	77° 30' 17.22"	27° 12' 25.30"	Bharatpur
2.	Jatoli	77° 31' 11.04"	27° 11' 28.93"	Bharatpur
3.	Ghasola	77° 32' 45.3"	27° 10' 16.1"	Bharatpur
4.	KhohriNagla	77° 32' 55.6"	27° 09' 52.6"	Bharatpur
5.	Behnera	77° 33' 55.3"	27° 09' 20.9"	Bharatpur
6.	Darapur Khurd	77° 33' 50.1"	27° 07' 42.0"	Bharatpur
7.	Darapur Kalan	77° 33' 31.8"	27° 07' 35.2"	Bharatpur
8.	Naswaria	77° 32' 31.3"	27° 07' 35.4"	Bharatpur
9.	ChakSheorawali	77° 31' 56.32"	27° 08' 18.92"	Bharatpur
10.	Aghapur	77° 31' 21.0"	27° 08' 19.8"	Bharatpur
11.	Ramnagar	77° 29' 05.8"	27° 09' 0.4"	Bharatpur
12.	Chak Ramnagar	77° 29' 28.5"	27° 09' 54.8"	Bharatpur
13.	Mallah	77° 29' 36.4"	27° 11' 21.7"	Bharatpur
14.	Chaksiyosingh	77° 30' 26.92"	27° 07' 14.58"	Bharatpur

15.	Nagla banjara	77° 31' 45.50"	27° 07' 41.54"	Bharatpur
16.	Chakkazi	77° 32' 07.55"	27° 07' 31.42"	Bharatpur
17.	khokhar	77° 28' 43.65"	27° 08' 49.96"	Bharatpur
18.	Chak choba	77° 30' 52.52"	27° 07' 01.8"	Bharatpur
19.	Naglaphatiyar	77° 32' 46.69"	27° 06' 40.19"	Bharatpur
20.	Dhanagarh	77° 34' 34.4"	27° 07' 16.71"	Bharatpur
21.	Chak darapur	77° 33' 37.83"	27° 07' 57.74"	Bharatpur
22.	Sakatpur	77° 32' 25.24"	27° 06' 59.81"	Bharatpur

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report:

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2019.07.23 17:27:51 +05'30'